UPBR010096872023

<u>न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0–1, बरेली</u>

उपस्थित : विजेन्द्र त्रिपाठी (एच0जे0एस0)

सत्र परीक्षण संख्या : 1639/2023

राज्य

बनाम

1. तन्जीम उर्फ नन्हे,
2. गुड्डू उर्फ तौफीक पुत्रगण मसीउल्ला,
   निवासीगण–मो0 मिर्धान कस्बा व थाना फरीदपुर, जिला–बरेली।

मुकदमा अपराध संख्या–725/2019
धारा–308/34, 324/34 भारतीय दण्ड संहिता, 1860
थाना–फरीदपुर, जनपद–बरेली।

<u>निर्णय</u>

1. प्रस्तुत सत्र परीक्षण 1639/2023 मु0अ0सं0–725/2019, थाना–फरीदपुर, बरेली की पुलिस के द्वारा अभियुक्तगण तन्जीम उर्फ नन्हे व गुड्डू उर्फ तौफीक के विरूद्ध भा0दं0सं0, 1860 की धारा– 308, 324 के अंतर्गत प्रेषित आरोप–पत्र पर संज्ञान लिये जाने के उपरान्त पारित सुपुर्दगी आदेश दिनांकित 07.07.2023 पर आधारित है।

2. संक्षेप में अभियोजन का कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा तौसीफ अहमद पुत्र रईस अहमद अपने पड़ोसी से दरवाजे पर बने शौचालय को सही करवाने के सम्बन्ध में बातें कर रहा था तभी तन्जीम उर्फ नन्हे और गुड्डू पुत्र मसीउल्ला निवासी मो0 मिर्धान ने धारदार

हथियार से हमला कर दिया, इससे मेरे सिर में गंभीर चोटें आयीं। ये हमला उन्होंने साजिशन हत्या करने के इरादे से किया था जिससे वादी को गंभीर चोटें आयीं। वह उनसे शौचालय का दरवाजा अन्दर से लेने की बात कर रहा था जिस समय उस पर हमला हुआ।

3. वादी मुकदमा की तहरीर **प्रदर्श क–1** के आधार पर थाना फरीदपुर, जिला बरेली में अभियुक्तगण तन्जीम उर्फ नन्हे व गुड्डू के विरूद्ध धारा 324 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में मुकदमा अपराध संख्या 725/2019 पंजीकृत किया गया। तौसीफ अहमद की चिकित्सीय आख्या के आधार पर मु0अ0सं0 725/2019 धारा 308 भा0द0सं0, 1860 के अंतर्गत वृद्धि की गयी। घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी बनाया गया। साक्षीगण के बयान अंकित किये गये और विवेचनोपरान्त पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण तन्जीम उर्फ नन्हे व गुड्डू उर्फ तौफीक के विरूद्ध धारा 308, 324 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अन्तर्गत आरोप पत्र संख्या 275/2020 न्यायालय में प्रेषित किया गया।

4. प्रश्नगत मामलें में अभियुक्तगणतन्जीम उर्फ नन्हे व गुड्डू उर्फ तौफीक के विरुद्ध दिनांक 21.08.2023 को आरोप भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 308/34, 324/34 के अंतर्गत विरचित किया गया, अभियुक्तगण को उपरोक्त आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया, किन्तु अभियुक्तगण ने उक्त आरोप से इंकार किया तथा परीक्षण की मांग की।

5. अभियोजन की ओर से, अभियुक्तगण के विरूद्ध, आरोपित अपराध को, सिद्ध करने हेतु, मौखिक साक्ष्य में निम्नलिखित साक्षीगण को परीक्षित कराया गया है :–

क0सं0	साक्षी सं0	साक्षी का नाम	साक्षी का प्रकार
1.	पी0डब्लू0–1	तौसीफ अहमद	वादी मुकदमा
2.	पी0डब्लू0–2	उपनिरीक्षक सतीश कुमार	अनुसंधान साक्षी

3.	पी0डब्लू0–3	डॉ0 तौफीक अहमद	विशेषज्ञ साक्षी
4.	पी0डब्लू0–4	कां0 दानिश अली	एफआईआर लेखक

अभियोजन की ओर से, उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य कोई साक्षी नहीं परीक्षित कराया गया है।

6. अभियोजन द्वारा जो अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किये गये हैं, उनको दौरान विचारण सुसंगत साक्ष्य द्वारा प्रमाणित एवं सिद्ध कराया गया है, जिनको प्रदर्श से क्रमबद्ध किया गया है, जो निम्न प्रकार से हैं :–

क.सं.	**अभियोजन प्रपत्र**	**प्रदर्श**	**अभिलेख किस साक्षी द्वारा साबित किये गये हैं।**
1.	तहरीर	प्रदर्श क–1	पी0डब्लू0–1 तौसीफ
2.	एमएलपीसी रिपोर्ट	प्रदर्श क–2	पी0डब्लू0–3 डॉ0 तौफीक अहमद
3.	पूरक रिपोर्ट	प्रदर्श क–3	पी0डब्लू0–3 डॉ0 तौफीक अहमद
4.	चिक एफआईआर	प्रदर्श क–4	पी0डब्लू0–4 कां0 दानिश अली
5.	कायमी जी0डी0	प्रदर्श क–5	पी0डब्लू0–4 कां0 दानिश अली
6.	एक्सरे प्लेट संख्या 3346	प्रदर्श क–6	डॉक्टर राजकुमार

7. अभियोजन की ओर से न्यायालय के समक्ष वस्तु के रूप में निम्न वस्तु साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत की गयी हैं और जिसके साबित होने के उपरान्त उन पर नियमानुसार वस्तु प्रदर्श अंकित किया गया –

क. सं.	**वस्तु का नाम**	**प्रदर्श**	**वस्तु किस साक्षी द्वारा साबित किये गये हैं।**
1.	एक्सरे प्लेट	वस्तु प्रदर्श –1	पी0डब्लू0–5 डॉक्टर

		लगायत 4	राजकुमार

8. अभियुक्तगण तंजीम उर्फ नन्हे व गुड्डू उर्फ तौफीक का बयान अन्तर्गत धारा– 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्तगण ने घटना को गलत बताया तथा गावाहान पी0डब्लू0–1 लगायत पी0डब्लू0–5 के बयान के संबंध में कथन किया कि झूंठी व गलत एफआई लिखायी गयी है उसे रंजिशन झूंठा फंसाया गया है। वादी मुकदमा झूंठे मुकदमें में फंसाकर हमारे घर पर कब्जा करना चाहता हैं। सफाई साक्ष्य देने से इंकार करते हुये कहा कि झूठा फंसाया है।

9. मैंने विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) तथा अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सम्यक परिशीलन किया।

10. आपराधिक विधि का यह स्थापित सिद्धान्त है कि अभियोजन पक्ष को अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को अपने साक्ष्यों से युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करना होता है।

प्रस्तुत प्रकरण में अब यह देखा जाना है कि क्या अभियोजन पक्ष अपने साक्ष्यों से अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है अथवा नहीं।

11. प्रश्नगत मामले में अभियोजन को यह तथ्य संदेह से परे साबित करना है कि दिनांक 03.11.2019 को समय करीब 22:38 बजे स्थान मो0 मिर्धान, थाना फरीदपुर, जिला बरेली में आप अभियुक्तगण द्वारा एक राय होकर अपने सामान्य आशय के अग्रसरण में वादी मुकदमा तौसीफ अहमद को जान से मारने की नीयत से मारपीट कर गंभीर चोटें पहुंचाईं जिससे उसके सिर के बांये फ्रैन्टल बोन में अस्थिभंग कारित हुआ और यदि आपके द्वारा पहुंचाई गयी चोटों से उनकी मृत्यु हो जाती तथा हथियार से हमला कर चोटें पहुंचायीं गयीं।

12. इस संबंध में विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा न्यायालय के समक्ष दौरान बहस यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 03.11.2019 को समय करीब 22:38 बजे स्थान मो0 मिर्धान, थाना फरीदपुर, जिला बरेली में आप अभियुक्तगण द्वारा एक राय होकर अपने सामान्य आशय के अग्रसरण में वादी मुकदमा तौसीफ अहमद को जान से मारने की नीयत से मारपीट कर गंभीर चोटें पहुंचाईं जिससे उसके सिर के बांये फ्रैन्टल बोन में अस्थिभंग कारित हुआ और यदि आपके द्वारा पहुंचाई गयी चोटों से उनकी मृत्यु हो जाती तथा हथियार से हमला कर चोटें पहुंचायीं गयीं। उपरोक्त आपराधिक कृत्य को अभियोजन के द्वारा पूर्णतः सिद्ध एवं साबित किया गया है। अतः अभियुक्तगण को उपरोक्त धारा में दोषसिद्ध किया जाय।

13. इस संबंध में अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दौरान बहस यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्तगण निर्दोष है। अभियुक्तगण को झूठा फंसाया गया है। अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा के साथ कोई मारपीट नहीं की गयी। अभियोजन की ओर से कोई ऐसा स्वतंत्र साक्षी प्रस्तुत नहीं किया गया है, जो अभियोजन कथानक को संदेह से परे साबित करता हो। अतः अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जाय।

14. अभियोजन की ओर से अभियोजन साक्ष्य में गवाह पी0डब्लू0–1 के रूप में तौसीफ अहमद को परीक्षित कराया गया है। गवाह पी0डब्लू0–1 प्रश्नगत प्रकरण में वादी मुकदमा हैं।

गवाह पी0डब्लू0–1 तौसीफ अहमद ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ यह बयानात किया कि घटना दिनांक 03.11.2019 समय लगभग साढ़े आठ बजे शाम की है। वह अपने पड़ोसी तंजीम उर्फ नन्हे, तौफीक उर्फ गुड्डू के दरवाजे पर बजे शौचालय को लेकर बात कर रहा था। उनका दरवाजा शौचालय का दरवाजा बाहर की तरफ खुलता है जिससे शौचालय से गंदगी मेरे दरवाजे तक फैल जाती है। मैं उक्त दिनांक को शौचालय का दवाजा अन्दर करने की बात कर रहा था तभी तंजीम उर्फ

नन्हे एवं तौफीक उर्फ गुड्डू ने मेरे ऊपर धारदार हथियार से हमला कर दिया जिससे मेरे सिर में व गर्दन में गंभीर चोटें आयीं। तंजीम उर्फ नन्हें व तौफीक उर्फ गुड्डू ने साजिशन हत्या करने के इरादे से हमला किया था। चोट लगने से मैं गिर गया। उक्त दोनों लोग मारकर भाग गये। मेरे भाई मुझे थाने लेकर गये थे। जहॉ मैंने घटना के संबंध में बोल–बोलकर तहरीर लिखायी थी। पत्रावली में शामिल कागज सं0 4क/3 तहरीर को देखकर गवाह ने कहा कि यह वही तहरीर है जो मैंने थाने पर बोल–बोलकर लिखायी थी उस पर मेरे हस्ताक्षर मौजूद हैं। शिनाख्त करता हूॅ। अपने हस्ताक्षर की पुष्टि करता हूॅ। इस पर प्रदर्श क–1 डाला गया तथा पुलिस मुझे मेडिकल कराने सीएचसी फरीदपुर जिला बरेली लेकर गयी थी वहॉ से डॉक्टर ने गंभीर चोट को देखते हुए जिला अस्पताल बरेली भेज दिया था जहॉ मैं दो तीन दिन भर्ती रहा था। घटना के संबंध में दरोगा जी ने मेरा बयान लिया था।

गवाह पी0डब्लू0–1 तौसीफ से विस्तृत जिरह की गयी है, जिसका निष्कर्ष वाद के अंतिम निष्कर्ष के साथ किया जायेगा।

15. अभियोजन की ओर से अभियोजन साक्ष्य में गवाह पी0डब्लू0–2 के रूप में सतीश कुमार को परीक्षित कराया गया है। गवाह पी0डब्लू0–2 प्रश्नगत प्रकरण में अनुसंधान साक्षी है।

गवाह पी0डब्लू0–2 सतीश कुमार ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ यह बयानात किया कि घटना दि0 03.11.2019 की है मैं थाना फरीदपुर पर उपनिरीक्षक के पद पर तैनात था दि० 03.11.2019 को मुअसं0 725/2019 धारा 324 भा०द०सं०, में पंजीकृत हो कर विवेचना हस्व आदेश प्रभारी निरीक्षक फरीद पुर जनपद बरेली के द्वारा उपरोक्त मुकदमा की विवेचना मुझ उप निरीक्षक के सुपुर्द हुई थी। मुझ उपनिरीक्षक को थाना कार्यालय से नकल चिप नकल रपट प्राप्त हुई थी मेरे द्वारा दि० 4.11.2019 को प्रथम सी डी किता की गयी थीं जिसमें नकल चिप नकल रपट ब्यान एफआईआर लेखक हे०का० यदुवीर सिंह के ब्यान अंकित किये

गये थे। इसके उपरान्त घुटने में चोट लगने के कारण मैं मेडिकल की छुटटी पर चला गया था मुकदमा उपरोक्त की अग्रिम विवेचना उपनिरीक्षक नरोत्तम सिंह द्वारा सम्पादित की गयी थी

गवाह पी0डब्लू0–2 सतीश कुमार से विस्तृत जिरह की गयी है, जिसका निष्कर्ष वाद के अंतिम निष्कर्ष के साथ किया जायेगा।

16. अभियोजन की ओर से अभियोजन साक्ष्य में गवाह पी0डब्लू0–3 के रूप में डॉ0 तौफीक अहमद को परीक्षित कराया गया है। गवाह पी0डब्लू0–3 प्रश्नगत प्रकरण में तथ्य के विशेषज्ञ साक्षी है।

गवाह पी0डब्लू0–3 डॉ0 तौफीक अहमद ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ यह बयानात किया कि दिनांक 3.11.2019 को मैं चिकित्साधिकारी के पद सीएचसी फरीदपुर के पद पर तैनात था। उक्त दि० को समय करीब 9.50 बजे चुटैल तौसीफ अहमद उम्र 28 वर्ष पुत्र रहीस अहमद मो० मिधार्न थाना फरीद पुर को होमगार्ड दयाराम लेकर आये थे, जो एन सी आर न० 317/19 धारा 323, 504 भा0दं0सं0 का मेडिकल मेरे द्वारा किया गया जिसमें चुटैल का पहचान चिन्ह एक काला तिल गर्दन के सामने 2 सेमी स्टर्नल नॉज से ऊपर

चोट न० 1 इनसाइज बून 2.5×.8 सेमी मास की गहराई तक माथे पर बायी तरफ बाई भौह से उपर बनावट लीनियर किनारा किलयर रक्त स्त्राव मौजूद था चोट को निगरानी में रखा गया था।

चोट न० 2 मल्टीपिल ऐवरेजन 11×6 सेमी के क्षेत्रफल में बायी गर्दन पर बनावट इन रेगुलर घाव के ऊपर लालिमा मौजूद थी चोट को निगरानी में रखा गया सारी चोटे ताजी अवधि की थी। चोट न० 1 के उपयोग में लाया गया हथियार तेज धारदार हथियार से आने की सम्भावना थी या पहुँचायी गयी। चोट न0 2 लाठी या डण्डे से आने की सम्भावना थी।

पत्रावली पर कागज सं० 6क/6 लगायत 7 एमएपीसी रिपोर्ट मेरे हस्तलेख हस्ताक्षर में है शिनाख्त करता हूँ जिस पर प्रदर्श क–2

डाला गया व पत्रावली में शामिल कागज स० पूरक रिपोर्ट मेरे द्वारा तैयार की गयी जिसमें चुटैल तौसीफ अहमद का एक्सरे प्लेट प्राप्त होने के उपरान्त तैयार गयी थी। चुटैल की एक्सरे रिपोर्ट के अनुसार चुटैल के सिंर में बायी तरफ फन्टल बोन में छोटा सा एक लीनियर फक्चर पाया गया था मेरी राय में चुटैल की चोट न० 1 ग्रीवियस नेचर की थी व चोट न० 2 सिम्पल नेचर की थी। पूरक रिपोर्ट मेरे हस्तलेख हस्ताक्षर में है अपने हस्ताक्षर की पुष्टि करता हूँ। जिस पर प्रदर्श क–3 डाला गया है।

गवाह पी0डब्लू0–3 डॉ0 तौफीक अहमद से विस्तृत जिरह की गयी है, जिसका निष्कर्ष वाद के अंतिम निष्कर्ष के साथ किया जायेगा।

17. अभियोजन की ओर से अभियोजन साक्ष्य में गवाह पी0डब्लू0–4 के रूप में कां0 दानिश अली को परीक्षित कराया गया है। गवाह पी0डब्लू0–4 प्रश्नगत प्रकरण में एफआईआर लेखक हैं।

गवाह पी0डब्लू0–4 कां0 दानिश अली ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ यह बयानात किया कि दि0 03.11.2019 को मैं बतौर सी0सी0 के पद पर कम्प्यूटर अनुभाग में तैनात था, उक्त दि0 को वादी तौफीक अहमद द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर तहरीर का शब्द शब्द अ0अ0 सं0 725/19 धारा 324 भा0दं0सं0 बनाम तंजीम उर्फ नन्हे आदि दि0 3.11.19 की समय 22.38 बजे पर किता की थी जिसका खुलासा मैंने जी0डी 50 दि0 3.11.19 समय 22.38 बजे पर किया था पत्रावली में का0 सं0 4क/1 लगायत 4क/2 एफआईआर पर थाना प्रभारी के हस्ताक्षर मौजूद हैं शिनाख्त करता हूँ जिस पर प्रदर्श क–4 डाला गया। कम्प्यूटरीकृत मूल जी0डी0 का0 सं0 8ख/10 जिस पर थाना प्रभारी के हस्ताक्षर मौजूद हैं तस्दीक करता हूँ। जिस पर प्रदर्श क–5 डाला गया।

गवाह पी0डब्लू0– कां0 दानिश अली से विस्तृत जिरह की गयी है, जिसका निष्कर्ष वाद के अंतिम निष्कर्ष के साथ किया जायेगा।

18. अभियोजन की ओर से अभियोजन साक्ष्य में गवाह पी0डब्लू0–5 के रूप में डॉ0 राजकुमार को परीक्षित कराया गया है, प्रश्नगत प्रकरण में तथ्य के विशेषज्ञ साक्षी हैं।

गवाह पी0डब्लू0–5 डॉ0 राजकुमार ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ यह बयानात किया कि दिनाँक 04.11.2019 को मैं जिला अस्पताल में तैनात था, उस दिन चिकित्साधिकारी द्वारा संदर्भित चुटैल तौसीफ उम्र 28 वर्ष पुत्र रईस मोहल्ला, मिर्धान थाना फरीदपुर, बरेली का सिर का एक्सरे मेरी देखरेख में किया गया। एक्सरे संख्या 3346 है, के अनुसार.... मेरे विचार से इस एक्सरे फ्रेम के अनुसार हेअर लाईन फैक्चर बॉयी तरफ फाउण्टम हड्डी, जो सिर में है, पाई गई, यह रिपोर्ट मेरे लेख व हस्ताक्षर में है और पीड़ित का निशानी अँगूठा भी मेरे द्वारा प्रमाणित है। यह रिर्पोट कागज संख्या 6क/5 है, पर प्रदर्श क–6 डाला गया और एक्सरे प्लेट वस्तु प्रदर्श–1 लगायत 4 डाला गया।

गवाह पी0डब्लू0– 5 डॉ0 राजकुमार से विस्तृत जिरह की गयी है, जिसका निष्कर्ष वाद के अंतिम निष्कर्ष के साथ किया जायेगा।

19. मैंने अभियुक्तगण तंजीम उर्फ नन्हें व गुड्डू उर्फ तौफीक के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक के तर्को को सुना तथा पत्रावली का सम्यक् रूप से अवलोकन किया।

20. अभियोजन पक्ष की ओर से तर्क दिया गया कि तथ्य के बिन्दु पर परीक्षित साक्षीगण द्वारा घटना के तथ्यात्मक पहलुओं तथा अभियोजन प्रपत्रों को सम्बंधित साक्षीगण द्वारा असंदिग्ध ढंग से साबित किया गया है। ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण को सिद्धदोष कर दण्डित किए जाने योग्य है।

21. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता की ओर से तर्क किया गया है कि अभियोजन साक्षीगण के न्यायालयीन कथन परस्पर विरोधाभाषी व अविश्वसनीय हैं, अतः अभियुक्तगण दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

22. न्यायालय को यह देखना है कि क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण तंजीम उर्फ नन्हें व गुड्डू उर्फ तौफीक पर लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा 308/34, 324/34 भा0दं0सं0 में वर्णित अपराध को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है?

23. अभियोजन की ओर से अपने कथानक को सिद्ध करने के लिए कुल 5 साक्षीगण को परीक्षित कराया गया है, जिनमें साक्षी पी0डब्लू0 1 जो वादी मुकदमा है के द्वारा तहरीर पतहरीर को प्रदर्श क–1 रूप में साबित है।

24. प्रश्नगत मामले में मुख्य रूप से दो अवधार्य बिन्दु बनाये जाते हैं–

1. क्या मामले में जो प्रथम सूचना रिपोर्ट उसमें कोई समय व तिथि घटना की नहीं है और क्या प्रश्नगत मामले में एन0सी0आर नं0 317/2019 के आधार पर मामला दर्ज हुआ या मु0अ0सं0 725/2019 के आधार पर दर्ज हुआ है,

2. प्रश्नगत मामले में यह अवधारित होना है कि क्या वादी को इस मामले में स्वयं घटना कारित करने के कारण चोटें आयीं हैं और अभियुक्त को चोटें आना, जिसका कोई स्पष्टीकरण अभियोजन द्वारा नहीं दिया गया है?

25. **अवधार्य वाद बिन्दु सं0 1–** क्या मामले में जो प्रथम सूचना रिपोर्ट उसमें कोई समय व तिथि घटना की नहीं है और क्या प्रश्नगत मामले में एन0सी0आर नं0 317/2019 के आधार पर मामला दर्ज हुआ या मु0अ0सं0 725/2019 के आधार पर दर्ज हुआ है,

26. प्रश्नगत मामले में अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा तौसीफ अहमद की तहरीर प्रदर्श क–1 के आधार पर चिक एफआईआर प्रदर्श क–4 जो कि पी0डब्लू0 4 कां0 दानिश अली के द्वारा साबित की

गयी, जिनके द्वारा जी0डी0 प्रदर्श क–5 साबित की गयी, के आधार पर मुकदमा कायम हुआ।

27. बचाव पक्ष का तर्क है कि प्रश्नगत तहरीर प्रदर्श क–1 में न तो कोई तिथि है, न ही कोई घटना का समय है। उपरोक्त मामले में यह तहरीर जानबूझकर अभियुक्तगण को फंसाने के लिए दी गयी है, जबकि इस बात की पुष्टि चिकित्सीय आख्या प्रदर्श क–2 से होती है, जो कि एन0सी0आर0 सं0 317/2019 के आधार पर होती है जिससे यह साबित होता है कि बाद उपरोक्त में घटना को बनाया गया है और अभियुक्तगण को फंसाया गया है।

28. प्रश्नगत प्रकरण में यदि पी0डब्लू0 1 वादी मुकदमा तौसीफ अहमद के साक्ष्य को देखा जाये तो इनके द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में बताया गया है कि अभियुक्तगण ने साजिशन हत्या करने के इरादे से हमला किया, चोट लगने से वह गिर गया, थाने पर बोल बोलकर तहरीर लिखायी। चिकित्सीय परीक्षण सीएचसी फरीदपुर में हुआ था। इसी के साथ यदि पी0डब्लू0 4 कां0 दानिश अली की साक्ष्य को देखा जाये तो जिनके द्वारा एफआईआर किता की है, उन्होंने अपनी साक्ष्य में प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 03.11.2019 को समय 22:38 पर दर्ज होना बताया है और अपनी मुख्य परीक्षा में वादी के द्वारा घटना साढ़े 8 बजे समय की बतायी है। उपरोक्त में चिकित्सीय आख्या में एन0सी0आर0 नं0 317/2019 लिखा दी, एक लिपिकीय त्रुटि प्रतीत होती है, साढ़े आठ बजे की घटना बतायी गयी है और समय 22:38 बजे प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करा दिया गया है। थाने से घटना स्थल की दूरी 1 किमी है। माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा **जयप्रकाश सिंह बनाम स्टेट आफ बिहार तथा अन्य (2012) 4 एस0सी0सी0 379 के पैरा 12** में यह स्पष्ट रूप से अवधारित किया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट किसी भी दाण्डिक वाद का महत्वपूर्ण व मूल्यवान साक्ष्य होता है। यद्यपि उक्त निश्चाचक साक्ष्य नहीं है, परन्तु इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट तुरन्त दर्ज करायी जाय, तो वह प्रथम सूचना

रिपोर्ट की सत्यता की ओर दर्शित करता है और यदि उपरोक्त में कोई विलम्ब है, तो उपरोक्त में उक्त तत्परता का अभाव खो देता है और यह भय आ जाता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट बढ़ा–चढ़ाकर व बनायी हुयी कहानी है। काफी राय मशवरे के बाद विधिक राय प्राप्त करने के बाद दर्ज करायी गयी है। यदि प्रथम सूचना रिपोर्ट अविलम्ब दर्ज करायी गयी है, तो इस बात का परिचायक है कि मामले में सच्चाई है। प्रश्नगत मामले में की गयी विवेचना से स्पष्ट है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाये जाने में कोई विलम्ब नहीं है। तद्नुसार अवधार्य बिन्दु सं0–1 निस्तारित किया गया।

29. **अवधार्य वाद बिन्दु संख्या 2–** प्रश्नगत मामले में यह अवधारित होना है कि क्या वादी को इस मामले में स्वयं घटना कारित करने के कारण चोटें आयीं हैं और अभियुक्त को चोटें आना, जिसका कोई स्पष्टीकरण अभियोजन द्वारा नहीं दिया गया है?

30. प्रश्नगत प्रकरण में अभियोजन के द्वारा अपने द्वारा लगाये गये आरोपों को साबित करने के लिए पी0डब्लू0 1 तौसीफ अहमद को प्रस्तुत किया है, जिन्होंने घटना दिनांक 03.11.2019 समय साढ़े 8 बजे शाम की बतायी है, जब वह अपने पड़ोसी तंजीम उर्फ नन्हें, तौफीक उर्फ गुड्डू के दरवाजे पर बने शौचालय को लेकर बात कर रहा था तब शौचालय की गंदगी को लेकर शिकायत करने पर तंजीम उर्फ नन्हें, तौफीक उर्फ गुड्डू ने वादी पर धारदार हथियार से हमला कर दिया जिससे वादी के सिर व गर्दन पर गंभीर चोटें आयीं, यह हमला तंजीम उर्फ नन्हें, तौफीक उर्फ गुड्डू के द्वारा जान से मारने की नियत से किया गया था, ऐसा अभियोजन का तर्क है।

31. बचाव पक्ष की ओर से कथन किया गया है कि प्रश्नगत

घटना पूरी तरह से फर्जी है, घटना बार–बार परिवर्तित है। प्रश्नगत मामले में चोटों का विवरण क्या है, परन्तु इस मामले में कोई ऐसी गंभीर चोट नहीं है। इस संदर्भ में उनके द्वारा वादी पी0डब्लू0 1 तौसीफ अहमद की

तरफ ध्यान आकर्षित किया गया, जहॉ पर कहा गया कि एक एन0सी0आर0 वादी के खिलाफ अभियुक्तगण के द्वारा दर्ज करायी गयी थी तथा उसके खिलाफ अन्य लोगों ने भी एन0सी0आर0 करायी है तथा साथ में बचाव में एन0सी0आर0 सं0 317/2019 की फोटो प्रति सूची से दाखिल की है, जिसमें उक्त एन0सी0आर0 सतीश गिरी के द्वारा दी गयी है तथा एक प्रथम सूचना रिपोर्ट 18/2020 थाना फरीदपुर में तौसीफ/वादी के विरूद्ध दर्ज करायी गयी है, जो कि श्रीमती आमना पत्नी तौफीक अहमद के द्वारा दर्ज कराया गया, तौफीक वही है, जो इस मामले में अभियुक्त है।

32. प्रश्नगत मामले में बचाव में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों से स्पष्ट है कि दोनों पक्षों में रंजिश चली आ रहा है। एक दूसर के विरूद्ध मामले दर्ज करते रहते हैं। ऐसी दशा में बचाव पक्ष का यह तर्क कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई, माने जाने योग्य नहीं है।

33. पी0डब्लू0 1 वादी तौसीफ अहमद के द्वारा दिनांक 17.08.2024 को अपनी जिरह में बताया है कि झगड़ा मुल्जिमानों के घर पर हुआ था। मुल्जिमानों के घर के बांयी तरफ मेरी बुआ मेराज बानो पत्नी इस्लाम नवी का घर है। झगड़े का कारण मेरी बुआ के मकान के पास लैटरीन है, जो झगड़े से पहले बनी हुई है। गाली गलौंज देने को मना करने पर मुल्जिमान वहॉ पर पहुंचे गये और झगड़ा हो गया। इस बात से इन्कार किया है कि तौसीफ, खालिद, फैजल, दानिश, मो0 शाहिद, मो0 इस्लाम अभियुक्तगण के घर में घुस गये हों और वादी को दो जगह चोट आयीं हो और यह चोटें साथ में आये लोगों के द्वारा पहुंचायीं गयीं हों। इस बात से भी इन्कार किया है कि उसने मुल्जिमानों के घर में घुसकर मारपीट की हो और घर के बाहर दरवाजे से टकराकर चोट आ गयी हो।

34. उपरोक्त जिरह के तकों को देखकर यह स्पष्ट हो रहा है कि मारपीट स्वीकृत रूप से हुई है, जिसकी पुष्टि उपरोक्त जिरह से होती

है। वादी अपनी मुख्य परीक्षा में यह बता रहा है कि अभियुक्तगण के द्वारा उसके साथ घटना के समय, दिनांक व स्थान पर मारपीट की गयी। यह भी स्वीकार कर रहा है कि यह मारपीट अभियुक्तगण के शौचालय के कारण हुई थी। यह भी स्वीकृत कर रहा है कि वह घटना के समय तौफीक व तंजीम के दरवाजे पर था, यह बात जिरह में भी निकलकर आ रही है और जिरह से यह स्पष्ट है कि मारपीट हुई थी, वादी के चोटें लगीं थी और यदि अभियुक्तगण ने कोई मुकदमा दर्ज कराया था तो वह सभी इसी घटना के बाद के है। इस घटना में यदि कोई मुकदमा दर्ज कराया था तो उसमें दर्ज हुआ बयान या अन्य कार्यवाही के सत्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत मामले में यदि उपरोक्त सभी सह अभियुक्त रहे हैं, तो आक्रमणकारी कौन था। उपरोक्त में यह देखना है कि क्या इन साक्षियों को अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत किया गया है वह सच बोल रहे हैं, विश्वास योग्य हैं और क्या उन्हें केवल इस कारण से अविश्वसनीय करार दे दिया जाय कि उनकी साक्ष्य में कुछ बढ़ा चढ़ाकर और थोड़ा बहुत विरोधाभास है, जैसा कि **माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एडाकांडी बनाम स्टेट आफ केरला (2025) 3 सस०सी०सी० 273 व अशोक कुमार चौधरी बनाम स्टेट आफ बिहार 2008 (61) ए०सी०सी० 972 सुप्रीम कोर्ट** में अवधारित किया गया है। यह अंदाजा लगाना पूरी तरह से अनुचित होगा तथा केवल बयानों मामूली विरोधाभास और विश्लेषण पर **माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा मनोज बनाम स्टेट आफ एम०पी०, (2023) 2 एस०सी०सी० 353** में यही विधि व्यवस्था अवधारित की है तथा यह भी **माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा धीरेन्द्र सिंह बनाम स्टेट आफ झारखण्ड ए०आई०आर० 2021 सुप्रीम कोर्ट 1169** में यह स्पष्ट रूप से अवधारित है कि यदि साक्षियों को काफी दिन बाद परीक्षित किया जाता है, तो थोड़ा बहुत विरोधाभास स्वाभाविक है और किसी भी साक्षी से यह अपेक्षा नहीं की जायेगी कि वह वीडियोग्राफी मेमोरी रखेगा और एक–एक चीज को उसी क्रमांक में बतायेगा।

35. अभियुक्तगण की ओर से **माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की विधि व्यवस्था लोहारी व अन्य बनाम स्टेट 2025 (133) एसीसी 607** प्रस्तुत की गयी है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि यदि अभियुक्त को चोटें आयीं है और उक्त चोटों का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता है तो अभियोजन कथानक संदिग्ध हो जाता है और यह साबित होता है कि अभियोजन कुछ तथ्यों को छिपाने का प्रयास कर रहा है। प्रश्नगत मामले में यदि देखा जाये तो प्रथमदृष्टया अभियोजन अपने द्वारा लगाये गये आरोपों को साबित कर रहा है। यह भी महत्वपूर्ण है कि एक साक्षी भी घटना को साबित करने के लिए सक्षम है यदि वह न्यायालय का विश्वास अर्जित करता है। जैसा कि **माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश बनाम बलवीर सिंह (2025)8 एससीसी 545** व **जोय देवराज बनाम केरला (2024)8 एससीसी 102** में अभिनिर्धारित किया गया है कि आपराधिक दाण्डिक वाद में साक्षियों की गुणवत्ता को देखा जाता है, संख्या को नहीं, जैसा कि धारा 134 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में दिया है कि किसी तथ्य को साबित करने के लिए कई साक्षियों की संख्या अंकित नहीं है, यह आवश्यक है कि वह न्यायालय का विश्वास अर्जित कर रहे हों। प्रश्नगत मामले में भी घटना के दिवस पर ही चिकित्सीय परीक्षण वादी का हुआ है। यह भी महत्वपूर्ण है कि अभियुक्तगण के द्वारा भी वादीगण के ऊपर बाद में मुकदमा लिखाया गया है और मामले में एनसीआर सं0 317/2019 चिकित्सीय प्रपत्रों को लगाये जाने से उपरोक्त को साबित करने का प्रयास किया गया है, जबकि दिनांक 03.11.2019 को वादी का चिकित्सीय परीक्षण हुआ है।

36. प्रश्नगत मामले में पी0डब्लू0 3 डॉ0 तौफीक अहमद परीक्षित हुए हैं जिनके द्वारा चिकित्सीय आख्या प्रदर्श क–2 व एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श क–3 को साबित किया है। मामले में चुटहिल तौसीफ अहमद उम्र 28 वर्ष पुत्र रहीस अहमद को थाना फरीदपुर से एचजी दयाराम लेकर गये थे।

इस बात की पुष्टि डॉ0 तौफीक अहमद पी0डब्लू0 3 ने की है। 3 चोटें तौसीफ अहमद के शरीर पर पायीं गयी थीं, जो निम्न प्रकार से हैं–

चोट न० 1– इनसाइज बून 2.5×.8 सेमी मास की गहराई तक माथे पर बायी तरफ बाई भौह से उपर बनावट लीनियर किनारा किलयर रक्त स्त्राव मौजूद था चोट को निगरानी में रखा गया था।

चोट न० 2– मल्टीपिल ऐवरेजन 11×6 सेमी के क्षेत्रफल में बायी गर्दन पर बनावट इन रेगुलर घाव के ऊपर लालिमा मौजूद थी चोट को निगरानी में रखा गया सारी चोटे ताजी अवधि की थी। चोट न० 1 के उपयोग में लाया गया हथियार तेज धारदार हथियार से आने की सम्भावना थी या पहुँचायी गयी। चोट न0 2 लाठी या डण्डे से आने की सम्भावना थी।

इस प्रकार चोट सं0 1 को ग्रीवियस नेचर की बताया है। मामले में यदि चोट सं0 1 के संदर्भ में देखा जाये तो **चुटैल के सिंर में बायी तरफ फन्टल बोन में छोटा सा एक लीनियर फक्चर पाया गया है। जिरह में स्वीकार किया है कि उक्त चोटें लोहे के दरवाजे से टकराकर आ भी सकती हैं तथा अपने हस्ताक्षर की पहचान की है।** इस स्तर पर पी0डब्लू0 5 डॉक्टर राजकुमार जिनके द्वारा **प्रदर्श क–6 को साबित किया है और एक्सरे प्लेट वस्तु प्रदर्श क–1 लगायत 4 को साबित किया है, न बताया है कि हेयरलाईन फ्रैक्चर आगे वाली हड्डी में दिखाई पड़ रही है,** जो प्राणघातक नहीं है।

37. प्रश्नगत मामले में साक्षियों के बयान व डॉक्टर के द्वारा प्रस्तुत की गयी आख्या के द्वारा चोट सं0 1 प्राण घातक नहीं, **चुटैल के सिर में बायी तरफ फन्टल बोन में छोटा सा एक लीनियर फक्चर होना पाया गया है,** इसको प्राण घातक नहीं बताया गया है। उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि इस बात की पुष्टि होती है कि अभियुक्तगण के द्वारा घ ाटना के दिवस, समय व स्थान पर घटना कारित की गयी है, जिस बात की पुष्टि अभियुक्तगण के द्वारा की गयी जिरह से हो रही है, जैसा कि अभियुक्तगण के द्वारा जिरह में स्वीकार किया गया है। मारपीट न होने के

कार्यवाही के संदर्भ में कोई ऐसा साक्ष्य नहीं है कि यह साबित कर सके कि यह घटना न घटित हुई हो। घटना की संपुष्टि चिकित्सीय आख्या से भी होती है। ऐसी दशा में मौखिक साक्ष्य व अभिलेखीय साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत घटना अभियुक्तगण के द्वारा घटना के समय व स्थान व दिनॉक को कारित की गयी, वहॉ पर उनकी अनुपस्थिति होने के संबंध में बचाव पक्ष असफल रहा है।

ऐसी दशा में अवधार्य बिन्दु 2 तद्नुसार निस्तारित किया गया।

38. प्रस्तुत मामले में धारा 308 भा0दं0सं0 का आरोप लगाया है। चिकित्सीय आघात आख्या के अवलोकन व चिकित्सीय आख्या से स्पष्ट है कि चोट फ्रन्टल बोन में एक छोटा सा एक लीनियर फ्रैक्चर, जो कि प्राणघातक नहीं था जिससे जीवन जोखिम में आता। ऐसी दशा में जो धारा 324 भा0दं0सं0 की श्रेणी में आता है, के साक्ष्य पूर्ण हैं। अभियुक्तगण द्वारा उक्त अपराध एक राय होकर सामान्य आशय की पूर्ति हेतु कारित किया गया है।

39. प्रश्नगत मामले में धारा 324 के आरोप हैं, उक्त की चोट से पूर्ण हो चुका है। एक ही चोट के लिए दो सजायें नहीं दीं जा सकती हैं। उपरोक्त में चुटहिल के बांयी गर्दन पर बनावट इन रेगूलर घाव के ऊपर लालिमा मौजूद होना बताया गया है, जो धारा 323 भा0दं0सं0 की श्रेणी में आता है। अभियुक्तगण द्वारा उक्त अपराध एक राय होकर सामान्य आशय की पूर्ति हेतु कारित किया गया है।

40. अतः साक्ष्य के उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि अभियोजन अभियुक्तगण तंजीम उर्फ नन्हें एवं गुड्डू उर्फ तौफीक के विरूद्ध धारा 323/34, 324/34 भा0दं0सं0 के अपराध को संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है।

41. अतः अभियुक्तगण तंजीम उर्फ नन्हें एवं गुड्डू उर्फ तौफीक धारा 323/34, 324/34 भा0दं0सं0 के अपराध हेतु दोषसिद्ध किया जाता है।

42. अभियुक्तगण जमानत पर है, उनके बंध पत्र व जमानतनामें निरस्त किये जाते हैं तथा उनके प्रतिभूगणों को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है। अभियुक्तगण न्यायालय में उपस्थित है, उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाये।

43. दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पत्रावली कुछ देर बाद पेश हो।

दिनांक 12.06.2026

(विजेन्द्र त्रिपाठी)
JO CODE UP -6160
अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं0–1,
बरेली।

44. पत्रावली दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पेश हुई। दोषसिद्ध की ओर से कहा गया है कि वे गरीब व्यक्ति है। यह उनका प्रथम अपराध है। घर में रोजी–रोटी कमाने वाला कोई अन्य व्यक्ति नहीं है तथा उन्हें कम से कम दण्ड से दण्डिय किया जाये।

45. अभियोजन द्वारा कहा गया है कि दोषसिद्ध द्वारा एक राय होकर अपने सामान्य आशय के अग्रसरण में वादी मुकदमा तौसीफ अहमद को धारदार हथियार से मारपीट कर मारपीट कर चोंटें पहुंचायी गयी हैं तथा उन्हें अधिक से अधिक सजा से दण्डित किया जाये।

46. अतः उभयपक्षों को सुनने के उपरान्त प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए दोषीगण को धारा–4 अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

दोषसिद्ध तंजीम उर्फ नन्हें व गुड्डू उर्फ तौफीक को धारा– 323/34 एवं 324/34 भा0दं0सं0 के तहत दोषसिद्ध करते हुए धारा–4 अपराधी परिवीक्षा अधि0 1958 का लाभ देते हुए एक–एक वर्ष की

परिवीक्षा पर इस शर्त के साथ रिहा किया जाता है कि दोषसिद्ध द्वारा मुबलिग बीस–बीस हजार–रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व समान राशि के एक–एक प्रतिभू व इस आशय का वचनपत्र कि वे परिवीक्षा अवधि में कोई अपराध कारित नहीं करेंगे, शान्तिपूर्वक सदाचार करेंगें, इस न्यायालय में दाखिल करेंगें एवं न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगें एवं न्यायालय द्वारा बुलाये जाने पर दण्डादेश प्राप्त करेंगे।

इस निर्णय की एक–एक प्रति दोषसिद्ध को निःशुल्क प्रदान की जाये एवं जिला परिवीक्षा अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाये।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक 12.06.2026

(विजेन्द्र त्रिपाठी)
JO CODE UP -6160
अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं0–1,
बरेली।

यह निर्णय आज दिनॉक 12.06.2026 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

दिनांक 12.06.2026

(विजेन्द्र त्रिपाठी)
JO CODE UP -6160
अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं0–1,
बरेली।

Digitally signed by VIJENDRA TRIPATHI
Date: 2026.06.12 17:34:40 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court